



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1477]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 9, 2012/श्रावण 18, 1934

No. 1477]

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 9, 2012/SHRAVANA 18, 1934

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)
(कागज अनुभाग)

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Industrial Policy and Promotion)
(PAPER SECTION)

आदेश

ORDER

नई दिल्ली, 6 अगस्त, 2012

New Delhi, the 6th August, 2012

का.आ. 1780(अ).—केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 छ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, न्यूजप्रीट नियंत्रण आदेश, 2004 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

S.O. 1780(E).—In exercise of the powers conferred by Section 18 G of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby makes the following Order to amend the Newsprint Control Order, 2004, namely :—

1. (1) इस आदेश को न्यूजप्रीट नियंत्रण (संशोधन) आदेश, 2012 कहा जाए।

1. (1) This Order may be called the Newsprint Control (Amendment) Order, 2012.

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. न्यूजप्रीट नियंत्रण आदेश, 2004 की अनुसूची में :—

2. In the Newsprint Control Order, 2004, in the Schedule :—

(1) देशी न्यूजप्रीट विनिर्माताओं की मिल के नाम और अवस्थिति से संबंधित मद 4 में, क्रम सं. 113 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के परचात्, निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

(1) In item 4 relating to the name of the Mill and Location of the indigenous newsprint manufacturers, after S. No. 113 and the entries relating thereto, the following shall be added, namely :—

“114 मैसर्स कार्थिकेया पेपर एंड बोर्ड्स लिमिटेड, सत्यमंगलम, जिला इरोड, तमिलनाडु, राज्य”।

“114. M/s. Karthikeya Paper and Boards Limited, Satyamangalam, Distt. Erode in the State of Tamil Nadu”.

[फा. सं. 4(6)/2012-पेपर]

[F.No. 4(6)/2012-Paper]

तल्लीन कुमार, संयुक्त सचिव

TALLEEN KUMAR Ji. Secy.

टिप्पण : मूल आदेश भारत के राजपत्र में सं. का. आ. 1105(अ), तारीख 11 अक्टूबर, 2004 के तहत प्रकाशित किया गया था और भारत के राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 4 मई, 2012 के आदेश सं. का.आ. 1038(अ) द्वारा बाद में संशोधित किया गया था।

Note : The Principal Order was published in the Gazette of India vide No. S.O. 1105 (E), dated 11th October, 2004 and subsequently amended vide Order No. S.O. 1038(E), dated 4th May, 2012 published in the Gazette of India.